



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 7010पंरावि/प्रशा.2./सहा.अभि./एपीओ/अ.सि.रा./16/3755

जयपुर, दिनांक :- 19.9.16

आदेश

निम्न सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक/राज्यहित में उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम सहायक अभियन्ता	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1.	श्री छुट्टन लाल मीणा	शाहबाद (बारां)	मूण्डवा (नागौर)	
2.	श्री राजेन्द्र अत्रेय	परबतसर (नागौर)	शाहबाद (बारां)	

उपरोक्त सहायक अभियन्ता वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( राजेन्द्र शेखर मक्कड )

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलेक्टर, बारां/नागौर।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां/नागौर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहबाद (बारां)/परबतसर (नागौर)।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित सहायक अभियन्ता को पालनार्थ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव